न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

सुल्तान मोहम्मद ....बनाम........ कृष्ण गोपाल लोधनीवाल

मुकदमा राजस्व वाद .... नं. ....58/14.... सन् ....2014....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-2-17 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे में पधारे है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है।अतः पत्रावली साबिक आदेश मे दिनांक 22-3-17 को पेश हो।	
आज्ञा से रीडर सब डिविजन ऑफिसर, बनेड़ा	
22-3-17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विपक्षीगणो के जमन आदम तामील लौटकर प्राप्त। वादी पुनः नये पते पर भरकर पेश करें। तामील जारी हो पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दि. 6-6-17 को पेश हो।	
12-6-17 - पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम रायला मे पेश हुई। उभयपक्ष शिविर मे अनु.। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार राजस्व अभिलेख का मैरिट पर परीक्षण किया गया। वादी द्वारा यह वादपत्र विरुद्ध विपक्षी ग्राम रायला की आराजी ख0 1083 मे अवस्थित भूखण्ड ख0 3 व 8 कुल दो भूखण्ड 40 गुणा 60 फिट पर स्थायी निषेधाज्ञा आदेश अनुतोष चाहने बाबत प्रस्तुत किया है किन्तु वादी द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहका हुक्म में
	अपने वादपत्र पत्र मे संलग्न विक्रय पत्र दिनांकित 20-6-1990 अपंजीकृत है जिसकी कानूनन तौर पर कोई मान्यता नही है ~~ऐसी स्थिति~~ तथा विवादित आराजियात स० 1083 रकबा 2-14 बीघा का विपक्षी कृष्ण गोपाल महाजन रेकार्डेड खातेदार है। जिस पर वादी विरुद्ध विपक्षी से स्थायी निषेधाज्ञा आरम्भ की दाद चाहता है। जो कि न्यायिक सिद्धांतो के विपरीत है। ऐसी स्थिति मे वादी का यह वाद पत्र त्रुटीपूर्ण एवं गलत तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत शुदा प्रतीत होता है। अतः वादी का वादपत्र त्रुटीपूर्ण होकर पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। (हस्ताक्षर)	